6. भौतिक महत्व की दूसरी बात जो ध्यान आकर्शित करती है वह यह है कि षिक्षकों के पदों में कोई कटौती नहीं की गई या श्री राम कुमार षर्मा के पद को भी समाप्त नहीं किया गया । यदि वास्तव में, छात्रों की कमी के कारण षिक्षकों की संख्या कम करना अनिवार्य हो जाता है , तो पदो को समाप्त करना स्पश्ट और स्वाभाविक परिणाम होगा, अपीलकर्ता के वकील के पास किसी भी पद को समाप्त ना करने के लिए कोई स्पश्टीकरण नहीं था।

7. इसके अलावा, अपीलकर्ता स्कूल के वकील यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर किसी भी सामग्री को इंगित करने में असमर्थ थे कि श्री राम कुमार षर्मा वास्तव में सबसे कनिश्ठ षिक्षक कैसे थे या धारा 29 से घटाकर 27 करने के बावजूद भी , जैसा कि उल्लेख किया गया है याचिका , यह उस पर थी, कि कुल्हाडी अनिवार्य रूप से गिरनी थी ।

8. ऐसी परिस्थितियां होने पर, दावे के अनुसार स्कूल को कोई राहत देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह अपील एतदवारा क्रमषः 1000/- रूप्ये लागत के साथ खारिज की जाती है ।

9.इसके अलावा स्कूल प्रबंधन कोश्री राम कुमार षर्मा को उनके वेतन और भत्तों के सभी बकाया का भुगतान 7 अक्टुबर 1991 को या उससे पहले करने के लिए एक और निर्देष जारी किया जाता है।

आर एन आर

समक्ष: एस एस सोढी और जी सी गर्ग जे जे

प्रबन्धक समिति दयानंद महिला महाविधालय , कुरूक्षेत्रा और अन्य - अपीलार्थी

बनाम

श्रीमति षारदा रानी वा अन्य -- उत्तरवादीगण

1991 का पत्र पेटैंट अपील संख्या 921

30 अक्टुबर 1991

(एस एस सोढी जे)

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 226 नियुक्ति-इस्तीफा-पद की पेषकष-डी एम एम कुरूक्षेत्र में मनोविज्ञाान में व्याख्याता के पद का विज्ञापन -साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, प्रतिवादी का चयन किया गया और चयन सूची में उसे नंबर 2 पर रखा गया -अभ्यर्थी को नंबर 1 पर रखा गया। हालांकि वह ए एम एम भिवानी में व्याख्याता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन

उसने केवल अपना नया कार्यभार ग्रहण किया तीन दिन और उसके बाद इस्तीफा जमा करना - ऐसे पद पर नियुक्ति - डी आर (कालेज)निर्देष जारी कर रहे हैं। डी एम एम के प्रिंसपल को चयन सूची में अगले स्थान पर रखे गए व्यक्ति को पद की पेषकष करने के लिए कालेज के अधिकारियों हालांकि प्रतिवादी को छोडकर अन्य षिक्षकों की तर्दथ नियुक्तियां कर रहे हैं - ऐसी कारवाई अनुचित है - पद पर नियुक्ति की पेषकष प्रतिवादी को करनी होगी ,

माना गया कि जिस उम्मीदवार को चयन समिति द्वारा चयनित किया गया था और नंबर 1 पर रखा गया था, उसने कभी भी आदर्ष महिला महाविधालय भिवानी में अपना पद नहीं छोडा। जब वह इस पद पर थीं, तब उन्होने केवल तीन दिनांे के लिए इस नियुक्ति को स्वीकार करने की औपचारिकता का पालन किया था, इसके बाद इसे कभी नहीं लिया । इस नियुक्ति को उस प्रतिवादी को दी जानी चाहिए थी जो चयनित सूची में अगला था। इतना ही नहीं, यह भी पता चला कि इसके बाद तदर्थ नियुक्तियां की गई , लेकिन प्रतिवादी के अलावा अन्य व्यक्तियों की । इसमें कोई संदेह नहीं है कि कालेज ने वास्तव में प्रतिवादी के साथ अन्याय किया है और स्पश्ट से योग्यता के अलावा अन्य विचारों को उसकी नियुक्ति से इनकार करने में प्रबल होना प्रतीत होता है जब बार बार संचार के बावजूद , पहले उम्मीदवार ने उसके पद पर काॅलेज के लिए उपयुक्त पाठयक्रम में षामिल नहीं किया तो जाहिर तौर पर नियुक्ति लेने के लिए अगले उम्मीदवार को बुलाना पडा होगा । किसी भी दर पर , एक बार पहला उम्मीदवार केवल तीन दिनों के लिए पद पर रहने के बाद चला गया , साथ ही कालेज के प्रिंसिपल को निदेष दिया गया जैसा कि पत्र मंे निहित है कि उम्मीदवार को नंबर 2 पर रखा गया है यानी प्रतिवादी को छुटी में नियुक्त किया जाएगा रिक्ती के बाद, यह कालेज के लिए अनिवार्य हो गया कि

उसने उसे यह नियुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार, हमें विदवान एकल न्यायाधीष के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है, जिसे हम मानते हैं और इसकी पुश्टि करते हैं।

पैरा 6,10, और 12

22. फरवरी के विद्वान सिंगल जूडो के आदेष के विरूद्व लेटर्स पैटंेट अधिनियम के खंड एक्स के तहत लैटर्स पेटेंट अपील 1991 में माननीय श्री न्यायमूर्ति एम आर अग्निहोत्री द्वारा 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 10101 में परित किया गया ।

श्री पी एस पटवालिया , वकील ,श्री जी एस गिल और श्री अनुज राउरा।

अपीलकर्ताओ के लिए अधिवक्ता ।

श्री सूर्यकान्त , प्रतिवादियों के वकील ।

निर्णय

एस एस सोढी जे

1. यहां मामला के पद पर नियुक्ति से संबधित है। दयानंद महिला महाविधालय में मनोविज्ञान की व्याख्याता, कुरूक्षेत्र।

2. दयानंद महिला महाविधालय , कुरूक्षेत्र बाद में इसे कालेज के रूप में संदर्भित किया जाएगा , द्वारा जारी एक विज्ञापन के अनुसरण में, मनोविज्ञान में व्याख्याता के पद के लिए साक्षात्कार 28 जुलाई 1987 को आयोजित किए गए थे । चयन समिति ने एक चयन सूची तैयार की जहां श्रीमती किरण गुप्ता का नाम नबंर 1 पर रखा गया था, उसके बाद प्रतिवादी-षारदा रानी का नबंर 2 पर था । चयन सूची में अंतिम स्थान पर श्रीमती सरोज षर्मा थी।

3. चयनित उम्मीदवार अर्थात श्रीमती किरण गुप्ता आदर्ष महिला महाविधालय भिवानी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थी ।जाहिर तौर पर इसी कारण से उन्होने काॅलेज में लेक्चरर का पद नहीं संभाला, जैसा कि उन्हे अक्टुबर 1987 तक करना था। इस उददेषय के लिए बार बार विस्तार दिए जाने के बाद ही उन्होने अंततः लेक्चरर के रूप में अपना पद संभाला। 30 नवंबर 1987 को कालेज , लेकिन वह भी केवल तीन दिनों के लिए, 3 दिसंबर 1987 को उन्होने आवेदन किया और उन्हे असाधारण छुटी दे दी गई। इसके बाद वह कभी कालेज वापिस नहीं आई और 19 जनवरी ,1989 को अपने पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया ।

4. इस बीच कालेज के अधिकारियों ने प्रतिवादी षारदा रानी, जो चयन सूची में अगले स्थान पर थी, को मनोविज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्त की पेषकष करने के बजाय अन्य षिक्षकों को तदर्थ नियुक्तियां देने का विकल्प चुना । नियुक्त किये गये परनतु षारदा रानी को नहीं इसमें कोई आषचर्य नहीं कि , षारदा रानी ने विरोध किया और जिस पद के लिए उनका चयन किया गया था, उस पर नियुक्ति के लिए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की इस सबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि 11 दिसंबर 1987 को कुरूक्षेत्र विषवविधालय ने अपने

11 दिसंबर 1987 के पत्र द्वारा कालेज को इस आषय का निर्देष दिया कि जब तक पैनल मौजूद हैं तब तक नियुक्ति की जानी है पैनल में उम्मीदवारों के बीच से बनाया गया । डी आर कालेजज दवारा कालेज के प्रिसपल को लिखा गया । 1 जनवरी 1980 का पत्रअनुलग्नक पी/2 भी रिकार्ड में है, जिसमें कहा गया है आपसे फिर से अनुरोध है कि मनोविज्ञान के अनुमोदित पैनल से नियुक्ति सख्ती से करें जैसा कि पहले ही आपसे अनुरोध किया जा चुका है - इस कार्यालय के पत्र संख्या सीबीए-1/114-बी/87/690 दिनांक 11 दिंसबर 1987 द्वारा क्रम संख्या 1 पर उम्मीदवारों को लंबी छुटी देने की स्थिति में, आपसे अनुरोध है कि आप पद की पेषकष करें पैनल में क्रम संख्या 2 पर व्यक्ति को अवकाष रिक्त कृप्या ध्यान दे कि उसे इसका पालन करना होगा ।

5. तथ्य यह है कि षारदा रानी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया था व्याख्याता पद पर नियुक्ति का मामला, नहीं दी जा रही नियुक्ति उन्हे , हरियाणा के उच्च षिक्षा निदेषक के 25 अप्रैल 1989 को रजिस्टरार कुरूक्षेत्र विषवविधालय को लिखे पत्र (अनुलग्नक पी/6) में विषश्ट स्वीकृति मिलती है, जहां यह कहा गया है, श्रीमति षारदा रानी के प्रतिनिधित्व पर, मामला जांच की गई है और यह पाया गयाहै कि उसके मामले में अन्याय हुआ है क्योंकि उसे नियुक्ती नहीं दी गई , जबकि वह विधिवत गठित समिति के माध्यम से अपने चयन के कारण नियमित पद पर नियुक्त होने की वैध रूप से हकदार थी । इसके बाद रजिस्ट्रार से पूछा गया कि क्या उसे अब नियुक्त किया जासकता है और पुराने चयन के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है। क्या कारवाई यदि कोई हो, तो इस पत्र पर लिया गया है, तथापि जैसा कि हमारे सामनें रखा गया है, उस सामग्री से यह स्पश्ट नहीं है।

6. यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रीमति किरण गुप्ता , जिन्हे चयन समिति द्वारा चयनित किया गया था और नबंर 1 पर रखा गया था, ने आदर्ष महिला महाविधालय , भिवानी में अपना पद कभी नहीं छोड़ा । जब वह इस पद पर थी , तब उन्होने केवल तीन दिनों के एि इस नियुक्ति को स्वीकार करने की औपचारिकता का पालन किया था, इसके बाद इसे कभी नहीं लिया । इस मामले की विषिश्ट परिस्थितियों में, यह बिल्कुल उचित था कि प्रतिवादी-षारदा रानी को नियुक्ति की पेषकष की जानी चाहिए थी कि प्रतिवादी -षारदा रानी को नियुक्ती की पेषकष की जानी चाहिए थी । इतना ही नहीं, यह भी पता चला कि इसके बाद तदर्थ नियुक्तियां की गई, लेकिन षारदा रानी के अलावा अन्य व्यक्तियों की। ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई स्पश्टीकरण नहीं दिया जा रहा है।

7. बहरहाल, आगे क्या हुआ कि 8 जुलाई 1989 को मनोविज्ञान में व्याख्याता का पद पुनः विज्ञापित कियागया । प्रतिवादी षारदा रानी फिर से उन व्यक्तियों में से थी जिन्होने इस पद के लिए आवेदन किया था।हालांकि , उनका चयन नहीं किया गया था, बल्कि एक श्रीमति का चयन किया गया था। मोनिका ढींगरा का चयन किया गया और उन्हे नियमित पद पर नियुक्ति की पेषकष की गई। बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेषों के अनुपालन में, यह श्रीमति मोनिका ढींगरा को एक पक्ष के रूप में षामिल करने का आदेष दिया गया था और उन्होने भी , इसके बाद पद पर अपनी नियुक्ति का बचाव करने के लिए अपना रिर्टन दाखिल किया।

8. षारदा रानी को नियुक्ति देने से इनकार करने की काॅलेज की कारवाई को इस दलील पर उचित ठहराने की मांग की गई कि किरण गुप्ता द्वारा उनकी नियुक्त लेने के बाद, भले ही केवल तीन दिनों के लिए ,चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई और इसलिए कोई अधिकार नहीं बचा ।

पद पर नियुक्ति का दावा करने के लिए चयन सुची में नबंर 2 पर मौजूद उम्मीदवार को । दूसरे षब्दों में, श्रीमति किरण गुप्ता के पद छोड़ने से एक नई रिक्ती आ गई जिसके लिए नए सिरे से चयन की आवष्यकता थी हो गया।

9. एस्टोपल को इस आधार पर भी षारदा रानी के खिलाफ एक बाधा के रूप में खड़ा करने की मांग की गई थी कि उन्होने मनोविज्ञान में व्याख्याता के पद के लिए फिर से आवेदन किया था जब नए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और वह जुलाई 1989 मेंइस पद के लिए साक्षात्कार में भी षामिल हुई थी ।जब श्रीमती मोनिका ढींगरा को उनके स्थान पर वरीयता में चुना गया ।

10. बताई गई परिस्थितियों के समग्र संदर्भ में, उठाए गए किसी भी विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि काॅलेज ने वास्तव में षारदा रानी के साथ अन्याय किया है और स्पश्ट रूप से,उनकी नियुक्ती से इनकार करने में योग्यता के अलावा अन्य विचार प्रबल हुए हैं। जब बार बार संचार के बावजूद , श्रीमती किरण गुप्ता ने अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया,काॅलेज के लिए उचित कदम स्पश्ट रूप से षारदा रानी को नियुक्ति के लिए बुलाना होता। किसी भी कीमत पर , एक बार श्रीमती , किरण गुप्ता केवल तीन दिनों तक पद पर रहने के बाद चली गई , साथ ही कालेज के प्राचार्य को निर्देष दिया गया कि 1 जनवरी 1988 के पत्र (अनुलग्नक पी/2) में निहित है कि षारदा रानी को अवकाष रिक्ती पर नियुक्त किया जाए। यह काॅलेज का दायित्व बन गया कि वह उसे यह नियुक्ती प्रदान करे।हालंाकि जैसा कि पहले दायित्व बना गया कि वह उसे यह नियुक्ति प्रदान करे। हालंाकि

, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,काॅलेज ने इसके बजाय अन्य षिक्षकों को नियुक्ति करने का विकल्प चुना ।

11. रोक की आगे की दलील भी समान रूप से योग्यता से रहित है। काॅलेज की ओर से षारदा रानी को उनके साथ हुए स्पश्ट अन्याय के खिलाफ केवल इस आधार पर राहत देने से इनकार करने के लिए उठाया गया कि उन्होने बाद के साक्षात्कार में चयन के लिए भी आवेदन किया था, जहां उनके मुकाबले किसी अन्य उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई थी । यह समझ में नहीं आता कि इसे उसके खिलाफ रोक के रूप में कैसे समझा जा सकता है।

12. इस प्रकार हमें विद्वान एकल न्यायधीष के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है, जिसे हम समर्थन देते हैं और पुश्टि करते हैं । फलस्वरूप यह अपील 1,000 रूप्ये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

जे एस टी

समक्ष जी सी मितल ए सी जे और एस एस ग्रेवाल, जे

आयकर आयुक्त , पटियाला - आवेदक।

बनाम

श्रीमती भवानी बाई और अन्य प्रतिवादी

1978 का सामान्य आयकर संदर्भ संख्या 76 और 77

8 जुन 1991

आयकर अधिनियम (1981 का ग्स्प्प्प्)- निर्धारिती सहित बड़े एचयूएफ के आंषक विभाजन में प्राप्त आय के हिस्से का आकलन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा